107

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 2658
Dated 7/5/12

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना –2021 की समीक्षा
Master Plan Review–2021

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

P.2

"ओपन हाउस मीट्स"
"OPEN HOUSE MEETS"

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए Form to be filled by Participant	
नाम Name	
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	अध्यक्ष - दिल्ली विकास समिति
वर्तमान स्थिति Present Position	
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	A-1 Villege & Post. Kadipur Delhi 36 " 9136235051
फैक्स : Fax :	–
ई–मेल E-mail	Ranaharpalsingh@yahoo.co.in
पता : Address :	A-1 Villege & Post Kadipur Delhi 36
हस्ताक्षर : Signature :	
तिथि : Date :	30-4-2012

"अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं
"Submit your registration form at the venue of Open House meets."

(107)

सत्यमेव जयते

रजि०नं० S/24859

दिल्ली विकास समिति

निवास : ए–1, गाँव व डाक कादीपुर, दिल्ली–36
E-mail : delhivikassamiti@yahoo.com

अध्यक्ष : हरपाल सिंह राणा, फोन : 011-20061203, 9350188039 9136235051
E-mail : ranaharpalsingh@yahoo.co.in

हरपाल सिंह राणा
निदेशक :
(जनता सचिवालय)
संस्थापक महासचिव :
(ग्रामीण स्वाभिमान)
अध्यक्ष :
(दहेज विरोधी मोर्चा)
उपमंत्री :
(कन्या गुरूकुल, नरेला)
अध्यक्ष :
(दिल्ली जाट महासभा)
महामंत्री :
(आर्य समाज, कादीपुर)
मंत्री :
(राष्ट्रीय गौरक्षा आंदोलन समिति, दिल्ली)
महासचिव :
(भारतीय किसान युनियन)
मंत्री :
(युवाजन शक्ति अभियान मोर्चा)
अध्यक्ष :
(पर्यावरण एवं जीव–जन्तु संरक्षण)
महासचिव :
(दिल्ली स्कूल खेल विकास संघ)
संयोजक :
(भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय अभियान)
महासचिव :
(अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन)
कार्यकारिणी सदस्य :
(हीरासिंह वैदिक संस्कृति संस्थान)

क्रमांक ..... दिनांक .....

दिनांकः 30 अप्रैल 2012

श्री अमित दास
निदेशक ;योजनाद्ध
दि. वि. प्रा. जोन पी–1
एवं पी–प्प नरेला, 11 वां तल, विकास मीनार
नई दिल्ली

विषयः दिल्ली मुख्य योजना 2021 के विषय में सुझाव

श्रीमान् जी,

सविनय निवेदन यह है कि दिल्ली विकास प्रध्किरण की तरपफ से आपके विज्ञापन भावी दिल्ली 2021 "उत्तरी जिले में आयोजित खुला मंच ;ओपन हाउस मीटद्ध" के सन्दर्भ में आपके के द्वारा जो सुझाव मांगे गऐ थे वो इस प्रकार हैः–

1. राष्ट्रीय मार्ग नú 1 से वजीराबाद यमुना के साथ साथ जोन पी–2 में 100 मीटर परियोजनात्मक रोड़ है उसके लिए जमीन अध्रिहण बांध् से यमुना की तरपफ की जानी चाहिए।

क्योंकि बाँध् की अन्दर की जमीन का अध्रिहण मूल्य कापफी कम है ओर बाँध् से गांव की तरपफ का सरकारी मूल्य अध्कि है।

2. मास्टर प्लान 2021 में पी.पी.पी. योजना ही होनी चाहिए ओर इसमें कम से कम 2 एकड़ की ग्रुप हाउसिंग सोसइटी को मान्यता दी जानी चाहिए।

जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका पफायदा मिलेगा।

निष्काम सेवा

3. वर्त्तमान समय में जो रोड़ पी–2 जोन में 8 मीटर के है उनको बढ़ा कर कम से कम 30 मीटर किया जाना चाहिए।

4. अगर किसानों की जमीन सरकार अधिग्रहीत करती है तो किसान को विकसित जमीन का 15 प्रतिशत दिया जाना चाहिए।

5. जोन पी–2 में ग्रीन ब्लेट को छोड़ कर जो पफार्म हाउस बने हुए है उनको तोड़ कर। उनकी जगह पर सार्वजनिक प्रयोग या पिफर रिहायसी मकान बनाये जाने चाहिए।

क्योंकि मकानों की दिल्ली में पहले ही कमी है ओर पफार्म हाउस अत्यधिक जगह घेरते है। इन्हें ग्रीन ब्लेट एरिया में ही होना चाहिए।

6. वर्त्तमान समय में विद्युत की जो 220 और 440 की हाई एक्सटेंशन वायर है उनको ग्रीन ब्लेट एरिया में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

इससे ज्यादा से ज्यादा जमीन सामाजिक विकास के लिए उपलब्ध हो सकेगी।

कृपया करके इन सुझावों का विचार किया जाऐ तथा क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाऐ।

धन्यवाद सहित।

प्रार्थी

हरपाल राना

E-Mail:-

harpalhindustan@gmail.com

9136235051, 9654967600

(107)

सत्यमेव जयते

रजि०नं० S/24859

दिल्ली विकास समिति

निवास : ए–1, गाँव व डाक कादीपुर, दिल्ली–36
E-mail : delhivikassamiti@yahoo.com

अध्यक्ष : हरपाल सिंह राणा, फोन : ~~011-20061203, 9350188039~~ 9136235051
E-mail : ranaharpalsingh@yahoo.co.in

हरपाल सिंह राणा
निदेशक :
(जनता सचिवालय)
संस्थापक महासचिव :
(ग्रामीण स्वाभिमान)
अध्यक्ष :
(दहेज विरोधी मोर्चा)
उपमंत्री :
(कन्या गुरूकुल, नरेला)
अध्यक्ष :
(दिल्ली जाट महासभा)
महामंत्री :
(आर्य समाज, कादीपुर)
मंत्री :
(राष्ट्रीय गौरक्षा आंदोलन समिति, दिल्ली)
महासचिव :
(भारतीय किसान युनियन)
मंत्री :
(युवाजन शक्ति अभियान मोर्चा)
अध्यक्ष :
(पर्यावरण एवं जीव–जन्तु संरक्षण)
महासचिव :
(दिल्ली स्कूल खेल विकास संघ)
संयोजक :
(भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय अभियान)
महासचिव :
(अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन)
कार्यकारिणी सदस्य :
(हीरासिंह वैदिक संस्कृति संस्थान)

सलग्न: ऐनीमयोजना 2001

क्रमांक ..... दिनांक 30-4-12

श्री अमित दास
निदेशक, योजना
दि. वि. प्रा. जोन पी-1 व 2
एवं पी-नरेला II व III
विकास मीनार
नई दिल्ली

विषय- दिल्ली मुख्य योजना 2021 के विषय में सुझाव व आपत्ति

महोदय,

यह जैसा कि आज प्राधिकरण के द्वारा भावी दिल्ली-2021 मे सुझाव मांगे गए है उसमें मेरा यह कहना है कि प्राधिकरण दिल्ली मे अनेको प्रकार के नियमो का उल्लंघन कर रहा है।

यह अपने द्वारा बनाए गए नियमो को, एन-सी-आर बोर्ड के द्वारा बनाए गए नियमो को

व क्षेत्रीय योजना-2001 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन कर रहा है।

क्षेत्रीय योजना-2001 के अनुसार क्रमांक संख्या-4 जनसंख्या में दिल्ली में एक करोड़ लोग रह सकते हैं और 2001 से पहले 37-लाख लोगों को दिल्ली से बाहर आस-पास एन.सी.आर. में भेजा जाना था। लेकिन आज तक नहीं भेजा गया। इसके विपरीत आज दिल्ली की जनसंख्या 1 करोड़ 75 लाख हो गई है और आप और जनसंख्या बढ़ाने की व बसाने की बात कर रहे हैं। जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।

आज दिल्ली की स्थिति को सुधारने व संवारने की आवश्यकता है। व मौजूदा आबादी की सुविधाएं मुहैया कराना आवश्यक है। जो आज के हालात देखकर सम्भव भी नहीं लगता। अनाधिकृत कालोनियां एक मुख्य मुद्दा है। अतः इस ओर ध्यान दिया जाए।

जवाब की प्रतीक्षा में —

भवदीय

हरपालसिंह राणा
(अध्यक्ष)

क्षेत्रीय योजना–2001
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भाग :

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का 30,242 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली राज्यों में फैला हुआ है। प्रत्येक उपक्षेत्र में शामिल प्रशासनिक एककों का विवरण निम्म प्रकार है : –

1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली (1,483 वर्ग कि.मी.)।

2 हरियाणा उपक्षेत्र (13,413 वर्ग कि.मी.) जिसमें फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी जिले तथा पानीपत जिले की पानीपत तहसील शामिल है।

3 राजस्थान उपक्षेत्र (4,493 वर्ग कि.मी.), जिसमें अलवर जिले की छह तहसीलें नामत, अलवर, रामगढ़, बहरोड़, किशनगढ़, भंडावर तथा तिजारा शामिल हैं।

4 उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र (10,853 वर्ग कि.मी.) जिसमें मेरठ, गाजियाबाद तथा बुलन्दशहर जिले सम्मिलित हैं।

2. बोर्ड तथा उसके कार्य :

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम–1985, जो फरवरी, 1985 को पारित हुआ, के अधीन बोर्ड का गठन हुआ है। इस बोर्ड में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में 21 सदस्य व 6 मनोनीत सदस्य हैं।

अधिनियम की धरा–7 के अन्तर्गत बोर्ड के कार्य :

(1) क्षेत्रीय पलान व फंक्शनल प्लान तैयार करना,

(2) सहभागी राज्यों व दिल्ली संघ राज्य द्वारा उपक्षेत्रों के प्रोजेक्ट प्लान तैयार करवाना,

(3) सहभागी राज्यों व दिल्ली संघ राज्य द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उपक्षेत्रों में प्रोजेक्ट तैयार करने व उनको क्रियान्वित करने के क्रम को निश्चित करने के लिये उचित व सही कार्यवाही सुनिश्चित करना,

(4) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रोजेक्ट बनाये जाने, इस क्षेत्र एवं इसके उप–क्षेत्रों में प्राथमिकताओं का निर्धरण करने तथा क्षेत्रीय योजना में दर्शाये गये चरणों के अनुसार विकास को क्रमब(करने के लिये सहभागी राज्यों व दिल्ली संघ क्षेत्र द्वारा उचित एवं व्यवस्थित प्रोग्रसिंग को सुनिश्चित करना।

(5) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चुनी गयी विकास योजनाओं के लिये केन्द्रीय व राज्यों की योजना धनराशि व अन्य राजस्व के स्त्रोंतों से धनराशि का प्रबन्ध करना।

3. उद्देश्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के मुख्य उद्देश्य निम्म प्रकार से हैं :–

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भू–उपयोग तथा अधःसंरक्षण के विकासार्थ अनुकूल नीतियां बनाना ताकि क्षेत्र में किसी भी व्यवस्थिति विकास को रोका जा सके।

(2) 2001 ईस्वी तक के दिल्ली के विकास को नियंत्रित करना।

क्षेत्रीय योजना–2001 इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अर्न्तनिहित नीतियों का एक स्वरूप है।

4. मुख्य नीतियां :

1 जनसंख्या

यदि दिल्ली को वर्तमान दर पर बढ़ने दिया गया तो 2001 तक उसकी जनसंख्या 132 लाख हो जायेगी। अतएव दिल्ली और दिल्ली महानगरीय क्षेत्र को प्रबन्धनीय सीमा में रखने के लिये तुरन्त जनसंख्या पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये नीति में यह प्रस्ताव किया गया है कि :–

(1) दिल्ली को 2001 तक प्रबन्धनीय सीमा में रखने के उद्देश्य से दिल्ली में जनसंख्या वृ(की दर को कम किया जाय।

(2) दिल्ली को छोड़कर दिल्ली महानगर (मेट्रोपोलिटन) क्षेत्र में जनसंख्या की सामान्य वृ(दर रखते हुये, 37 लाख जनसंख्या गाजियाबाद, लोनी, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, बहादुरगढ़ तथा कुंडली नगरों तथा एक लाख जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में समाहित हो, इस उद्देश्य को प्राप्त किया जाय।

2. सेटलमेंट सिस्टम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1981 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार 6677 गांव तथा 94 छोटे बड़े कस्बे थे। प्रस्तावित नीतियां इस प्रकार से हैं :–

(1) गहनता से प्राथमिक आधर पर कुछ चयनित क्षेत्रों को विकसित करना।

(2) जनसंख्या के विवेकपूर्ण वितरण को धयान में रखकर क्षेत्र के भावी विकास के लिये एक चार स्तरीय (फोर टियर हायरर्किकल) प(ति जिसमें क्षेत्रीय केन्द्र (रीजनल सेन्टर), उपक्षेत्रीय केन्द्र (सब रीजनल सेन्टर), सेवाकेन्द्र (सर्विस सेन्टर) तथा क्षेत्र के आधरभूत गांव (बेसिक विलेजेजर) शामिल हैं, का विकास किया जाय।

उपरोक्त नीतियों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधर पर विकसित किये जाने वाले कस्बे तथा उनकी सन् 2001 तक के लिये निर्धरित जनसंख्या निम्न प्रकार है :–

उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र		
1.	मेरठ	15.5 लाख
2.	हापुड़	4.5 लाख
3.	बुलन्दशहर–खुर्जा परिसर	8.0 लाख
हरियाणा उपक्षेत्र		
4.	पानीपत	5.0 लाख
5.	रोहतक	5.0 लाख
6.	पलवल	8.0 लाख
7.	रेवाड़ी	11 लाख
8.	दारूहेड़ा	0.75 लाख
राजस्थान उपक्षेत्र		
9	भिवाड़ी	1.15 लाख
10.	अलवर	5.0 लाख

उप–क्षेत्रीय केन्द्रों, सेवाकेन्द्रों (सर्विस सेंटरर्स) तथा आधरभूत ग्रामों (बेसिक विलेजेस) का चयन उपक्षेत्रीय योजना (सब रीजनल प्लान) बनाते समय किया जाना प्रस्तावित है।

III. ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास के लिये मुख्य कार्यनीतियां निम्न प्रकार से हैं :–

1 विशिष्ट अधसंरचना तथा सेवायें जैसे बैंक, बाजार आदि की व्यवस्था तथा आधरभूत सुविधओं की कमी को पूरा करना।

2 अकृषि क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की निपुणता में वृ(करना।

3 ग्रामीणों को व्यावसायिक शिक्षा दिलाना तथा कृषि सम्बन्धी नई तकनीक से अवगत कराना।

VI आर्थिक रूपरेखा :

इस सम्बन्ध में प्रस्तावित नीतियां इस प्रकार से हैं :–

(क) सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालय

(1) कार्यालयों के खोलने पर कड़ा नियंत्रण रखा जाना चाहिए। केवल ऐसे सरकारी कार्यालयों जिनमें मंत्रालयिक, प्रोटोकाल तथा लायजन कार्य हैं, को दिल्ली में रखा जाये। वर्तमान कार्याल जो उपर्युक्त कोई भी कार्य नहीं करते उनको दिल्ली से बाहर भेजना चाहिये।

(2) इसी प्रकार का नियंत्रण नये केन्द्रीय सरकारी एवं सार्वजनिक कार्यालयों के दिल्ली महानगरीय क्षेत्र में खोलने पर भी लगाना चाहिये।

(3) जिन केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के दिल्ली तथा दिल्ली महानगर क्षेत्र के नगरों से स्थानान्तरण पर विचार किया गया हो,

उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य नगरों में अवस्थित किया जाय तथा उन्हें प्रोत्साहन दिया जाय।

(ख) व्यापार तथा वाणिज्य

(1) दिल्ली के थोक बाजार के प्रोत्साहन के लिये उन्हें विशिष्ट रूप देकर या करों की कम दरों द्वारा समीप के राज्यों की तुलना में विशेष तौर पर लाभकारी नहीं बनाया जाना चाहिये।

(2) दिल्ली में कतिपय ऐसे थोक व्यापार हैं जो सघन क्षेत्रों में उनकी अवस्थिति के कारण तथा आवागमन गतिविधियों के कारण जोखिम पूर्ण हैं, ऐसे थोक व्यापार दिल्ली महानगर क्षेत्र के कस्बों में विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने चाहिए।

(3) व्यापार की वृ(को प्रोत्साहन तथा त्वरित करने के लिए प्राथमिकता के तौर पर विकसित किये जा रहे क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रोत्साहन, रिआयतें तथा अध संरचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(ग) उद्योग

(1) दिल्ली में मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा न देने की वर्तमान नीति को जारी रखा जाना चाहिये।

(2) दिल्ली महानगर क्षेत्र में इन उद्योगों के लगाये जाने के लिये 10 वर्ष तक के लिये स्वीकृति दी जाय तथा उसके बाद इसका पुनरावलोकन किया जाय।

(3) प्राथमिकता के आधर पर विकसित किये जाने वाले क्षेत्रीय केन्द्रों में औद्योगिक विकास को महत्त्व दिया जाना चाहिए।

V परिवहन

आर्थिक क्रियाकलापों को दिल्ली से प्राथमिकता के आधर पर विकास के लिये चुने गये नगरों, जो इस क्षेत्र में बाहरी भाग में स्थित हैं, में भेजने के लिये इन नगरों में पहुंच के साधनों के लिये यात्रियों के और माल के लाने ले जाने की गतिशीलता की सुविधाओं के लिये एक अच्छे परिवहन नेटवर्क, जो उन्हें आपस में तथा दिल्ली से जोड़ सके, की विशेष आवश्यकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 2001 के लिये निम्नलिखित नीतियों को अपनाते हुए एक परिवहन योजना बनायी गयी है।

(1) क्षेत्रीय केन्द्रों को आपस में तथा उन्हें दिल्ली से एक कुशल एवं प्रभावशील परिवहन नेटवर्क द्वारा जोड़ना।

(2) रेल व सड़क नेटवर्क प(ति का दिल्ली में दिल्ली महानगरीय क्षेत्र तथा क्षेत्र के अन्य भागों को संघटन करना।

(3) सबसे ज्यादा यातायात पैदा करने वाले तथा आकर्षित करने वाले नगरों के बीच लघुतम व तीव्रतम नेटवर्क स्थापित करना।

(4) बाईपास करने वाले ट्रैफिक को परिवर्तित करके दिल्ली की सड़कों व परिवहन केन्द्रों से भीड़ कम करना।

(5) द्रुतगति सबरअरबन सेवा उपलब्ध करना।

VI. दूर संचार

क्षेत्र के लिये प्रमुख आवश्यकता, पर्याप्त तथा प्रभावी दूर संचार व्यवस्था की है जिससे दिल्ली से बाहर वाले क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार तथा विकास को गति मिलेगी। योजना में इस संबंध में निम्न प्रस्ताव है :–

(1) दूरभाष सेवाओं को पूर्णतया स्वचलित बनाना।

(2) मियाद खत्म हुए सभी दूरभाष केन्द्रों एवं अन्य एक्सचेंजों को बदलना।

(3) व्यावहारिक रूप में मांग होने पर दूरभाष एवं टेलेक्स कनेक्शनों की व्यवस्था।

(4) दिल्ली तथा प्राथमिक शहरों एवं दिल्ली महानगर क्षेत्र कस्बों के बीच अंशदाताओं के लिये डाइलिंग सुविधाओं की व्यवस्था।

(5) दिल्ली के साथ प्राथमिकता शहरों एवं दिल्ली महानगर संघ के कस्बों का विश्वसनीय केबिल तथा रेडियों संचार माध्यम संबंध।

(6) प्राथमिक शहरों तथा दिल्ली महानगर क्षेत्र कस्बों के बीच विश्वसनीय ट्रंक सर्विस या सीधी डायलिंग सुविधाओं अथवा मांग सेवा माध्यम की व्यवस्था।

(7) दिल्ली तथा इस क्षेत्र के उपनगरों में सभी हस्तचालित तथा यांत्रिक एक्सचेंजों के स्थान इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाना।

VII. विद्युत विकास

विद्युत की उपलब्धता प्रायः आवश्यकता से कम है। यह कमी वर्ष 1986–87 में दिल्ली को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक थी। ऐसा अनुमान है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह कमी 28 प्रतिशत तक हो जायेगी, अतः

(1) क्षेत्र के विकास को, विशेषकर क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय केन्द्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिये पर्याप्त मात्रा में बिना अवरोध

के विद्युत की पूर्ति की जानी चाहिये।

(2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को अतिरिक्त विद्युत दिये जाने को महत्ता एवं प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

VIII. जल आपूर्ति एवं स्वच्छता

जल आपूर्ति के मापदंड शहरी क्षेत्रों में विशेषकर दिल्ली महानगर क्षेत्र के नगरों (दिल्ली को छोड़कर) तथा चयनित नगरों में, दिल्ली के मापदंडों के समान होने चाहिये। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मापदंड प्रस्तावित है :

शहरी क्षेत्र की जनसंख्या	एल.पी.सी.डी.
5 लाख व उससे ज्यादा	275
2 लाख से 5 लाख	225
1 लाख से 2 लाख	100 (कम से कम)

खुली नालियां जो ज्यादातर गन्दगी व दूषित वातावरण पैदा करती हैं को हतोत्साहित किया जाना चाहिये। कूड़ा करकट के प्रकार को देखते हुए इसे भारतीय मानक संस्थान तथा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित सीमाओं के अनुरूप साफ किया जाना चाहिये।

IX. शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधएं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संतुलित विकास को तथा दिल्ली में भारी मात्रा में हो रहे प्रवसन को रोकने के लिये योजना में कुछ अन्य नीतियों का प्रस्ताव किया गया है जो निम्न प्रकार से है :

(1) क्षेत्रीय केन्द्रों तथा दिल्ली महानगर क्षेत्र के कस्बों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधएं कम से कम दिल्ली के अनुरूप होनी चाहिए।

(2) उपक्षेत्रों में एकरूपता रखने के लिए उपक्षेत्रीय केन्द्रों सेवा केन्द्र मूलभूत ग्रामों में शैक्षिक एवं चिकित्सा सुविधओं की अवस्थिति हेतु योजना में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशिष्ट मानक प्रस्तावित है।

X. क्षेत्रीय भूमि उपयोग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वर्तमान भूमि उपयोग का विश्लेषण रिमोट सैनसिंग आंकडे अर्थात् सेटलाइट इमेजरीज, इवाई फोटोग्राफ तथा भारतीय सर्वेक्षण स्थानाकृति, द्वारा किया गया है।

योजना में इस संबंध में निम्न प्रस्ताव हैं :–

(1) बढ़ती हुई खाद्य सामग्री की जरूरत को पूरा करने हेतु वर्तमान 23.32 लाख हेक्टयर खेतिहर भूमि को गहन कृषि के लिये सुरक्षित करना चाहिये। प्राथमिक कृषि भूमि की सुरक्षा तथा उसके शहरी उपयोग के लिये अनावश्यक परिवर्तन को रोकने के लिए कड़े उपायों को अपनाया जाए।

(2) वर्तमान 1.2 प्रतिशत वन क्षेत्र को कुल क्षेत्र का 10 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिये। यह बन्जर भूमि, कृष्य पूर्ति भूमि के उपयोग को बदल कर अर्जित करना है।

(3) क्षेत्र में अवांछित विकास को दूर करने के लिये कुछ क्षेत्रीय विनियमन प्रस्तावित किये गये हैं।

(4) शहरीकरण योग्य क्षेत्र के निकट समीपस्थ परिधीय कृषि अचल क्षेत्र विकास के नाम पर अतिक्रमण को रोकने तथा क्रमिक एवं प्रभावी शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए सम्पूर्ण भावी शहरीकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर "हरित" रूपी एक नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित है, हरित पट्टी में विकास को प्रतिवर्धित अथवा दृढ़ता से नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, राजपथों के साथ–साथ पट्टी विकास को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ 100 मीटर गहरी तथा राज्य राजमार्गों के साथ में 60 मीटर गहरी हरित प्रतिरोधक पट्टी सृजित करना नीति में प्रस्तावित है।

XI. काउंटर मेगनेट क्षेत्रों का विकास

क्षेत्रीय योजना 2001 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर निम्नलिखित "काउन्टर मैगनेट" के विकास की सिफारिश की गई है।

(1) हरियाणा में हिसार

(2) मध्य प्रदेश में ग्वालियर

(3) पंजाब में पटियाला

(3) राजस्थान में कोटा

(4) उत्तर प्रदेश में बरेली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में योजना बोर्ड

1.	केन्द्रीय शहरी कार्य और रोजगार मंत्री	अध्यक्ष
2.	हरियाणा के मुख्यमंत्री	सदस्य
3.	राजस्थान के मुख्यमंत्री	सदस्य
4.	उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री	सदस्य
5.	उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	सदस्य
6.	हरियाणा सरकार के नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री	सदस्य
7.	हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव	सदस्य
8.	राजस्थान सरकार के शहरी विकास मंत्री	सदस्य
9.	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	सदस्य
10.	शहरी विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
11.	सचिव, आवास तथा शहरी विकास, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
12.	दिल्ली के मुख्यमंत्री	सदस्य
14.	सचिव, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय, शहर विकास विभाग, भारत सरकार	सदस्य
15.	शहरी कार्य और रोजगार राज्य मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
16.	मुख्य नगर नियोजक, नगर व ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार	सदस्य
17.	ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
18.	संचार मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
20.	भूतल परिवहन मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
21.	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	सदस्य

सहयोजित सदस्य

1. मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
2. सचिव, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
3. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार
4. सचिव, सतही परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार
5. सलाहकार (एच.यू.डी.) योजना आयोग, भारत सरकार
6. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण

सत्यमेव जयते

(107)

रजि०नं० S/24859

दिल्ली विकास समिति

निवास : ए–1, गाँव व डाक कादीपुर, दिल्ली–36
E-mail : delhivikassamiti@yahoo.com

अध्यक्ष : हरपाल सिंह राणा, फोन : ~~011-20061203, 9350188039~~ 9136235051
E-mail : ranaharpalsingh@yahoo.co.in

हरपाल सिंह राणा
निदेशक :
(जनता सचिवालय)
संस्थापक महासचिव :
(ग्रामीण स्वाभिमान)
अध्यक्ष :
(दहेज विरोधी मोर्चा)
उपमंत्री :
(कन्या गुरूकुल, नरेला)
अध्यक्ष :
(दिल्ली जाट महासभा)
महामंत्री :
(आर्य समाज, कादीपुर)
मंत्री :
(राष्ट्रीय गौरक्षा आंदोलन समिति, दिल्ली)
महासचिव :
(भारतीय किसान युनियन)
मंत्री :
(युवाजन शक्ति अभियान मोर्चा)
अध्यक्ष :
(पर्यावरण एवं जीव–जन्तु संरक्षण)
महासचिव :
(दिल्ली स्कूल खेल विकास संघ)
संयोजक :
(भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय अभियान)
महासचिव :
(अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन)
कार्यकारिणी सदस्य :
(हीरासिंह वैदिक संस्कृति संस्थान)

निष्काम सेवा

क्रमांक .....

दिनांक 30-4-12

Mr. Amit Daas
Director Planning,
DDA Zone P-1 & 2 Narela,
11 Floor Vikas Minar
New Delhi

Subject: Objections/ suggestions on Planning.

Sir,

North Delhi is growing far beyond its carrying capacity. Unauthorised and authorised colonies (Rohini and its extensions) are coming up and it's creating a problem in terms of infrastructure. In terms of Solid waste- our waste disposal is encountering problems as the Waste Landfill site at Bawana is experiencing resentment from the local residents. In terms of water, entire Delhi draws from a common pool. We are importing more than 50% of our water from river basins that do not belong to Delhi. The neighbouring states are highly agriculture and are already facing deficit of water. Today, Delhi draws 51% of its water supply from other river basins that do not belong to Delhi i.e. Sutlej- Beas and Ganga. The riparian states like Punjab, Haryana and U.P are highly agricultured and themselves facing depleting water tables in many districts. In Haryana 55 out of 108 blocks are over exploited (Gray Zones); in Punjab 103 out of 138 blocks are Gray. In U.P 37 blocks are Gray. The report titled 'Hydrogeological Framework and Ground water Management plan of NCT of Delhi' reveals that Delhi is over drafting its groundwater by 1.71 times the recharge. However, if we take into consideration only the fresh water recharge from rainfall, the overdraft is 3.2 times. This is alarming. The ground water aquifers, our only emergency reserves are fast depleting. God forbid! A drought year or two may just lead to a catastrophe never imagined.

On other hand, the sewerage disposal is posing problems as we have not been successful till now in handling even half of what we produce. The River Yamuna is already known as 'sewage canal' because of what we produce. It may not be long when other states take a strong stand.

Besides, The NCR Regional Plan, 2001 has clearly said that the carrying capacity of Delhi is not more than 65 lakhs and the surplus populations are shifted to NCR region. It projected that the city's population may grow upto 132 lakhs by 2001.NCR Panning Board In 2001 stated that **37 lakhs people be settled in NCR towns Like Ghaziabad-Loni, Noida, Faridabad, Gurgoan, Bahadurgarh and Kundli towns and 1 lakh in rural areas**. Today the population of Delhi is 1 crore 75 lakh. Population should be under control. Acc. to the High Court Order there are many illegal colonies in delhi **(Enclosing Copy of Regional Plan 2001 National Capital Region)**. To avoid it, it suggested decongestion of Delhi by shifting various activities to outside Delhi and restricting urbanisation. Today, let alone entire Delhi, North Delhi alone accounts for roughly 30 to 40 lakhs of population. A study titled ' Water and Carrying Capacity of a city; Delhi' by Dr. Vikram Soni published in EPW in 2002 finds that Carrying capacity of Delhi is not more than 8 million.

Sir, in view of above it is suggested that all urbanisation/ industrialisation be immediately halted in North Delhi. The agricultural land left in this area be strictly monitored for any unauthorised construction activities. As a solution, I propose an incentive system to encourage farmers not to divert the agricultural land to non agricultural uses. Presently, a farmer with an average land holding of 2 acre does earn more the Rs. 15,000 per year from his land. In exceptional cases his earnings can maximum reach upto Rs. 50,000. This is nothing when compared to earnings from colonisation. So, they fall to the offers of colonisers/ property dealers and end up selling their lands for crores of rupees. If Delhi, especially North Delhi, has to secure its future, we must preserve this precious green belt.

Smt. Sarita J. Das Member secretary NCR Planning Board has published "**Delhi 1999 A Fact Sheet**" on 1 September 1999 stating the problems related to Delhi. No action has been taken yet on that.

Acc. To the **Fact Sheet** :-

:- On page no.18 Point 3 EMERGING SCENARIO OF DELHI, 3.1 Demographic Profile.

:-Page no. 19 Point 3.2 Migration to Delhi, REASONS FOR MIGRATION.

:-Page no. 20 Growth of Unauthorised colonies, Jhuggies & Jhopries, GROWTH OF SLUM POPULATION.

:-Page No. 22 WHY DELHI CONTINUES TO GROW.

:-Page No. 24 Wholesale Trade and Growth.

:-Page No. 25 Distributive Trades.

:-Page No. 26 WHOLE SALE MARKETS.

:-Page No. 27 Growth of Industries

From:-

Harpal Singh Rana

E-Mail:-

harpalhindustan@gmail.com

9136235051, 9654967600